UPPB010010212025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी/एस0टी0 अधिनियम), पीलीभीत।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0.–127/2025

मुकदमा अपराध संख्या–207/2024

सरिता **बनाम** सत्यपाल आदि।

अन्तर्गत धारा– 376डी, 342, 504 व 506
भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा
3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना– कोतवाली, पीलीभीत।

दिनांक: 05.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादिनी अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि वादिनी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. पर इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 16.04.2024 के अनुपालन में थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.06.2024 को अंतर्गत धारा– 376डी, 342, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट अभियुक्त सत्यपाल व नरेन्द्र पाल के विरूद्ध दर्ज की गयी। दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि तमामी विवेचना बयान वादिनी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल आस पास से पूछताछ गोपनीय जानकारी व सीडीआर लोकेशन के आधार पर घटना के दिन दिनांक 13.03.2024 को पीड़िता सरिता समय दो से तीन बजे के मध्य दिन में घटनास्थल मोहल्ला अवध नगर कालोनी में ना होकर मो0 बाग गुलशेर खां थाना कोतवाली, पीलीभीत में होने एवं अभियुक्त नरेन्द्र पाल का जनपद हरिद्वार राज्य उत्तराखण्ड में व अभियुक्त सत्यपाल का ग्राम हटुआ विजुलाई इलाका थाना गजरौला में रहना पाये जाने के कारण एवं वादिनी द्वारा अपने देवर के विरूद्ध पूर्व दर्ज कराये गये मुकदमे के अवलोकन एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर घ टना का होना नहीं पाया गया। अतः मामले के विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत प्रथमदृष्टया संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध न पाते हुए साक्ष्य के आभाव में अंतिम रिपोर्ट सं. 89/2024 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

विवेचक द्वारा प्रेषित उक्त अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध वादिनी को कई बार नोटिस प्रेषित किये गये, परन्तु वादिनी द्वारा उक्त अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध आज तक आपत्ति/प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादिनी दिनांक 18.03.2025 से न्यायालय में लगातार अनुपस्थित चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को मामले की कार्यवाही संचालित करने में कोई रूचि नहीं है तथा न ही वादिनी मुकदमा लड़ना चाहती है। तद्नुसार विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 207/2024 अंतर्गत धारा 376डी, 342, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट सं. 89/2024 थाना कोतवाली, जनपद पीलीभीत तद्नुसार स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(राम किशोर IV)
विशेष न्यायाधीश,
(एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम),
पीलीभीत।

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.08.05 16:39:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court